सत्यमेव जयते

उत्तराखण्ड सूचना आयोग

सूचना का अधिकार भवन, लाडपुर, रिंग रोड, देहरादून
दूरभाष न0– 0135–2675780, फैक्स न0– 0135–2675779
ईमेल : secy-uic@gov.in वैब: http://uic.gov.in

पत्रांक 5817 /उ0सू0आ0/2018–19 दिनांक 04 जुलाई, 2019

प्रेषक,

प्रभारी सचिव,
उत्तराखण्ड सूचना आयोग,
देहरादून।

सेवा में,

श्री हिमांशु शेखर दास,
मा0 राज्य मुख्य सूचना आयुक्त, असम
मुख्य संपादक,
एन0एफ0आई0सी0आई0 एडीटोरियल बोर्ड,
केन्द्रीय सूचना आयोग कार्यालय
रूम न0– 05, क्लब बिल्डिंग, ओल्ड जे.एन.यू. कैम्पस
नई दिल्ली– 110067

विषय :– उत्तराखण्ड सूचना आयोग के महत्वपूर्ण निर्णयों के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया एन0एफ0आई0सी0आई0 के पत्र संख्या 1/12/2018/NFICI/ Meeting दिनांक 24.06.2019 का संदर्भ ग्रहण करना चाहें जिसके द्वारा समस्त राज्य सूचना आयोग से माह जनवरी से मार्च 2019 तथा माह अप्रैल से जून 2019 के मध्य निर्णित महत्वपूर्ण निर्णयों की प्रति सम्पादक मण्डल के समक्ष प्रस्तुत किये जाने हेतु प्रेषित किये जाने का अनुरोध किया गया है।

उपरोक्त के क्रम में उत्तराखण्ड सूचना आयोग के द्वारा माह जनवरी से मार्च 2019 के मध्य निर्णित द्वितीय अपील संख्या 26319/2018 डॉ0 जावेद अख्तर बनाम लोक सूचना अधिकारी/वक्फ निरीक्षक, उत्तराखण्ड वक्फ बोर्ड, अल्पसंख्यक कल्याण भवन, भगत सिंह कालोनी, अधोईवाला, देहरादून व अन्य तथा माह अप्रैल से जून 2019 के मध्य निर्णित शिकायत संख्या 13147 श्री बलदेव कृष्ण गोयल बनाम लोक सूचना अधिकारी/मुख्य रसायन विद, दि बाजपुर को–आपरेटिव शुगर फैक्ट्री लि0, बाजपुर, जिला ऊधमसिंहनगर के निर्णय की प्रति सादर प्रेषित की जा रही है।

संलग्नक– यथोपरि।

भवदीया

(शालिनी नेगी)
प्रभारी सचिव

पत्रांक /उ0सू0आ0/2018–19 दिनांक जुलाई, 2019

प्रतिलिपि :– निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित –

1. श्री सुशील कुमार, कार्यकारी सचिव, एन0एफ0आई0सी0आई0, केन्द्रीय सूचना आयोग कार्यालय, रूम न0– 05, क्लब बिल्डिंग, ओल्ड जेएनयू कैम्पस, नई दिल्ली– 110067 को उनके पत्र दिनांक 24.06.2019 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

(शालिनी नेगी)
प्रभारी सचिव

उत्तराखण्ड सूचना आयोग देहरादून, उत्तराखण्ड

शिकायत संख्या : **13147/2018**

शिकायत अंतर्गत धारा 18(1) सू.का अधि. अधिनियम, 2005

समक्ष : शत्रुघ्न सिंह, मुख्य सूचना आयुक्त, उत्तराखण्ड

एवं

जे0पी0 ममगाई, राज्य सूचना आयुक्त, उत्तराखण्ड

शिकायतकर्ता : श्री बलदेव कृष्ण गोयल, निकट पोस्ट आफिस, बाजपुर, जिला ऊधमसिंहनगर।

बनाम

प्रतिपक्षी : 1. लोक सूचना अधिकारी/मुख्य रसायन विद, दि बाजपुर को–आपरेटिव शुगर फैक्ट्री लि0, बाजपुर, जिला ऊधमसिंहनगर।

आदेश

इस शिकायत में सुनवाई दिनांक 04/06/2019 को हुई थी, उस समय शिकायतकर्ता उपस्थित थे। लोक सूचना अधिकारी/मुख्य रसायन विद, दि बाजपुर को–आपरेटिव शुगर फैक्ट्री लि0, बाजपुर, जिला ऊधमसिंहनगर के प्रतिनिधि के रूप में विधि प्रभारी श्री उमेश चन्द्र पाठक उपस्थित थे।

2. प्रस्तुत शिकायत के निस्तारण के सिलसिले में सबसे पहले यह निर्णय लिया जाना है कि दि बाजपुर को–आपरेटिव शुगर फैक्ट्री लि0, बाजपुर सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत लोक प्राधिकारी है अथवा नहीं।

उत्तराखण्ड सूचना आयोग

JP

3. शिकायतकर्ता ने उक्त मिल के लोक सूचना अधिकारी के पत्र दिनांक 28/07/2018 को संलग्न करते हुए यह कहा है कि उनके द्वारा मांगी गयी सूचना प्रदान नहीं की जा रही है। उक्त पत्र के द्वारा लोक सूचना अधिकारी ने शिकायतकर्ता को सूचित किया है कि उनके अनुरोध पत्र दिनांक 23/07/2018 के सापेक्ष सम्प्रति कोई सूचना/अभिलेख दिया जाना सम्भव नहीं है। पत्र में यह भी उल्लेख है कि मिल समिति द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा सिविल अपील संख्या 9017/2013 Thalappalam Ser. Coop. Bank Ltd and other Versus State of Kerala & other में पारित आदेश दिनांक 07/10/2013 के अनुक्रम में मा0 सूचना आयोग को प्रेषित प्रत्यावेदन दिनांक 27/04/2018 एवं 21/03/2018 के माध्यम से इस मिल समिति को सूचना का अधिकार अधिनियम से अवमुक्त किये जाने की प्रत्याशा में प्राप्त होने वाले अनुरोध पत्रों पर तत्काल प्रभाव से की जानी वाली अग्रेतर कार्यवाही लम्बित रखी गयी है। ऐसा प्रतीत होता है कि शिकायतकर्ता ने प्रथम अपीलीय अधिकारी के दरवाजे पर भी दस्तक दी थी, जहां से उन्हें यही बताया गया कि प्रथम अपील पर भी तत्काल प्रभाव से की जाने वाली अग्रेतर कार्यवाही लम्बित रखी जा रही है।

4. शिकायतकर्ता का कहना है कि Thalappalam Ser. Coop. Bank Ltd and other Versus State of Kerala & other में मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 07/10/2013 पारित होने के पश्चात् अपील संख्या अ–13001/2013 में राज्य सूचना आयुक्त द्वारा पारित आदेश दिनांक 29/05/2014 के अंतर्गत यह उल्लेख किया गया है कि दि बाजपुर सहकारी चीनी मिल लिमिटेड, बाजपुर लोक प्राधिकारी की श्रेणी में आती है, क्योंकि यह सरकार द्वारा उपलब्ध करायी गयी निधियों से वित्त पोषित है। शिकायतकर्ता का कहना है कि सूचना उपलब्ध न कराना मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 07/10/2013 की

उत्तराखण्ड सूचना आयोग JP सत्यमेव जयते देहरादून

अवमानना है। उन्होंने क्षति स्वरूप रू0 20,000/– (रू0 बीस हजार) की मांग भी की है।

5. पत्र दिनांक 21/01/2019 के द्वारा शिकायतकर्ता ने कतिपय अतिरिक्त अभिलेख प्रस्तुत किये हैं। इस पत्र के साथ उन्होंने उपर्युक्त के अतिरिक्त बाजपुर सहकारी चीनी मिल की बैलेन्स शीट (31/03/2014) की प्रतिलिपि भी प्रस्तुत की है, जिसके अनुसार दिनांक 31/03/2014 को उक्त मिल का कुल Subscribed Share Capital रू0 8,10,69,900 (रू0 आठ करोड़ दस लाख उनहत्तर हजार नौ सौ) थी, जिसमें से रू0 6,10,99,800 (रू0 छः करोड़ दस लाख नियानब्बे हजार आठ सौ) अंश पूंजी राज्य सरकार की है। साथ ही शिकायतकर्ता ने सचिव, सहकारिता, गन्ना एवं चीनी अनुभाग–2 के पत्रांकः 1095/XIV-22013/10/2007 दिनांक 19 सितम्बर, 2013 की प्रतिलिपि भी प्रस्तुत की है, जिसके अन्तर्गत मिल को रू0 12,70,08,000 (रू0 बारह करोड़ सत्तर लाख आठ हजार) का ऋण स्वीकृत किया गया है। इसके अतिरिक्त उन्होंने कतिपय अन्य अभिलेख भी संलग्न किये हैं जो इस शिकायत के मूल बिन्दु पर निर्णय लिये जाने हेतु आवश्यक प्रतीत नहीं होते।

6. शिकायतकर्ता ने पत्र दिनांक 04/06/2019 के द्वारा भी कतिपय अभिलेख प्रस्तुत किये हैं, जिसमें अन्य अभिलेखों के साथ अपील संख्या A(UR) 13977/2013 में राज्य सूचना आयुक्त द्वारा पारित आदेश दिनांक 27/10/2014 की प्रतिलिपि भी शामिल है। उक्त आदेश बाजपुर सहकारी चीनी मिल के बारे में ही है, जिसमें मा0 उच्चतम न्यायालय के निर्णय दिनांक 07/10/2013 के आलोक में उक्त मिल को लोक प्राधिकारी करार दिया गया है। पत्र के साथ जो अन्य अभिलेख प्रस्तुत किये गये हैं वह शिकायतकर्ता तथा मिल के बीच कतिपय विवादों से संबंधित है, जिनका उल्लेख किया जाना आवश्यक नहीं है।

उत्तराखण्ड सूचना आयोग JP सत्यमेव जयते देहरादून

7. बाजपुर सहकारी चीनी मिल ने पत्र दिनांक 18/01/2019 के साथ राज्य सूचना आयुक्त द्वारा शिकायत संख्या 12507/2017 (RK) में पारित आदेश दिनांक 12/01/2018 को संलग्न किया है। उक्त आदेश में सहकारी चीनी मिल, नादेही के बारे में यह कहा गया है कि चूंकि मिल लोक प्राधिकारी नहीं है, अतः उन्हें सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत सूचना देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। मिल के उक्त पत्र में यह भी उल्लेख किया गया है कि मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा सिविल अपील नं0 9017/2013 में पारित आदेश दिनांक 07/10/2013 के आलोक में मिल समिति द्वारा दिनांक 27/04/2018 को सूचना का अधिकार अधिनियम से अवमुक्त किये जाने का अनुरोध किया गया था तथा राज्य सूचना आयुक्त द्वारा पारित आदेश दिनांक 12/01/2018 के आलोक में सहकारी चीनी मिल, बाजपुर भी लोक प्राधिकारी की श्रेणी में नहीं आती है।

8. सहकारी चीनी मिल, बाजपुर की ओर से पुनः दिनांक 01 जून, 2019 को लिखित पक्ष प्रस्तुत किया गया है। उक्त पत्र में मिल समिति द्वारा निम्न कथन किया गया है:–

8.1 यह कि मान0 उच्चतम न्यायालय द्वारा सिविल अपील नं0 9017/2013, Thalappalam Ser. Coop. Bank Ltd. and anors Vs. State of Kerala & anors में अपने आदेश दिनांक 07 अक्टूबर, 2013 में प्रतिपादित किया है कि " We therefore, hold that the Cooperative Societies registered under the Kerala Cooperative Societies Act will not fall with the definition of a public authority as defied under Section 2 (h) of the RTI Act and the State Government letter dated 5-5-2006 and the circular dated 01-06-2006 issued by the Registrar of Cooperative Societies, Kerala, to the extent, made applicable to societies

उत्तराखण्ड सूचना आयोग
सत्यमेव जयते
देहरादून
JP

registered under the Kerala Coopertive Societies Act would stand quashed in the absence of materials to show that they are owned, controlled or substantially financed by the appropriate Governent. Appeals are, therefore; allowed as a bove, however, with no order as to costs." मान0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश के सम्बन्धित पृष्ठ की छाया प्रति संलग्नक–1 से 3 पर प्रस्तुत है।

8.2 यह कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2 (ज) में " लोक प्राधिकारी " से तात्पर्य कोई प्राधिकारी अथवा निकाय अथवा स्वशासी गठित संस्था अथवा सृजित–

(क) संविधान द्वारा या उसके अर्न्तगत,
(ख) संसद द्वारा बनाये गये किसी कानून द्वारा,
(ग) राज्य विधान मंडल द्वारा बनाये गये किसी अन्य कानून द्वारा,
(घ) सक्षम सरकार द्वारा जारी की गयी अधिसूचना अथवा पारित किये गये आदेश द्वारा स्थापित किसी प्राधिकारी या निकाय या स्वपोषी सरकारी संस्था,
(i) कोई गैर सरकारी संस्था, जो सहायता प्राप्त है,
(ii) कोई अन्य निकाय

और इसके अर्न्तगत समुचित सरकार द्वारा नियन्त्रित और इसके अधीनस्थ साथ ही साथ प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से वित्तीय सहायता प्राप्त।

8.3 यह मिल समिति उपरोक्त धारा में निहित प्राविधानों में से किसी भी धारा/उपधारा से निम्न आधारों पर आच्छादित नहीं होती है:–

उत्तराखण्ड सूचना आयोग
देहरादून

(क) यह मिल समिति एक सहकारी संस्था है, जो सहकारी समिति अधिनियम 1912 की धारा 8(2) के अन्तर्गत पंजीकृत है, जिसका पंजीकरण नं0 52/CC/1956–57 दिनांक 08–09–56 जिला नैनीताल/उधमसिंहनगर है, जिसका मुख्यालय बाजपुर, जनपद–उधमसिंहनगर में स्थित है। पंजीकरण प्रमाणपत्र की छायाप्रति संलग्नक–4 पर प्रस्तुत है।

(ख) यह मिल समिति चीनी एवं एल्कोहल का उत्पादन करती है, एवं उसका विक्रय कर अपने कर्मचारियों एवं अधिकारियों का वेतन तथा अपने समस्त व्ययों को वहन स्वयं करती है, जिसमें सरकार का किसी भी प्रकार का योगदान नहीं रहता है। अपवाद स्वरूप चीनी मिलों को हो रही उत्तरोत्तर हानि के कारण ही यह मिल समिति भी अपने कार्मिकों को वेतन का भुगतान करने में भी असमर्थ हो गयी थी, जिस कारण सरकार ने अपने पत्र दिनांक 12 जून, 2018 के द्वारा इस मिल के कार्मिकों के वेतन का भुगतान करने हेतु रू0 9.00 करोड़ की राशि ऋण के रूप में निर्गत की गयी, पत्र की छायाप्रति संलग्नक– 5 से 7 पर प्रस्तुत है। इससे स्पष्ट है कि सरकार द्वारा कार्मिकों के वेतन हेतु प्रदत्त राशि भी ऋण के रूप में प्रदान की गयी।

8.4 यह कि मान0 उच्चतम न्यायालय ने सिविल अपील नं0 5466/2002, किसान सहकारी चीनी मिल लि0, सुल्तानपुर बनाम् शत्रुघ्न निषाद व अन्य में यह प्रतिपादित किया है कि " ....That the appellant Mill was neither an instrumentality nor an agency of the Govt. and hence was not an **other authority** under Art. 12" इसके अतिरिक्त यह भी निर्णित किया है कि, " ....Held, on facts, that since the appellant Mill was engaged in the manufacture and sale of sugar, which did not involve any public fuction, the

उत्तराखण्ड सूचना आयोग JP सत्यमेव जयते देहरादून

jurisdiction of the High Court under Art. 226 could not have been invoked." । मान0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश की प्रति संलग्नक 8 से 12 पर प्रस्तुत है। मान0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित इस आदेश के आलोक में यह मिल समिति ही " सरकार " से वित्त पोषित नहीं है अतः सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत " पब्लिक अथोरिटी/स्टेट " की श्रेणी में नहीं आती है।

8.5 यह कि उपरोक्त समस्त विधिक तथ्यों के दृष्टिगत ही मिल समिति द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम से अवमुक्त होने हेतु मान0 उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड के समक्ष याचिका सं0 210/2012 (M/S) योजित की गयी थी, जिसमें मान0 न्यायालय द्वारा दिनांक 02/03/2012 को स्थगनादेश पारित किया गया, लेकिन अपरिहार्य कारणों से मिल समिति द्वारा यह याचिका withdraw कर ली गयी (संलग्नक– 13 एवं 14) लेकिन मान0 उच्चतम न्यायालय द्वारा सिविल अपील नं0 9017/2013 में पारित आदेशों के अनुक्रम में तत्समय में हमारे द्वारा अपने उच्चतम न्यायालय तथा उत्तराखण्ड स्थित वरिष्ठ अधिवक्तागण से भी राय ली गयी, जिसमें उनके द्वारा राय दी गयी कि, " ....Thus, the Bazpur Cooperative Sugar Factory with is a cooperative society registered under the Cooperative Societies Act, will not fall within the definition of a public authority under section 2(h) of Right to Information Act, 2005, hence is not governed by the provision of Rigt to Information Act, 2005". सुलभ सन्दर्भ हेतु अधिवक्तागण द्वारा दी गयी राय की प्रतियॉ संलग्नक 15 से 30 पर प्रस्तुत है।

8.6 यह कि उपरोक्त विधिक तथ्यों के आलोक में ही मान0 सूचना आयोग द्वारा इस मिल समिति के समान एक अन्य सहकारी क्षेत्र की चीनी मिल, नादेही को अपने आदेश दिनांक 12–01–2018 के द्वारा लोक प्राधिकारी न मानते हुए शिकायत सं0 12507/2017 (RK) को निस्तारित

उत्तराखण्ड सूचना आयोग देहरादून सत्यमेव जयते

किया गया, जिसमें मान0 आयोग द्वारा आदेशित किया गया कि प्रधान प्रबन्धक/सचिव, दि किसान सहकारी चीनी मिल लि0, नादेही लोक प्राधिकारी नहीं है, अतः उन्हें सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत सूचनाऐं देने के लिये बाध्य नहीं किया जा सकता है और ऐसी संस्था जो लोक प्राधिकारी न हो उसके विरूद्ध सूचना का अधिकार के तहत शिकायत भी पोषणीय नहीं है।

9. राज्य सूचना आयोग द्वारा सहकारी चीनी मिलों के संबंध में समय–समय पर जो आदेश पारित किये गये हैं, उसपर भी दृष्टिपात किया जाना आवश्यक है। अपील संख्या अ–13001/2013 में राज्य सूचना आयुक्त द्वारा पारित आदेश दिनांक 29/05/2014 का प्रस्तर 3 निम्नवत् है:–

"मा0 मुख्य सूचना आयुक्त महोदय द्वारा सहकारी विभाग व उससे जुड़े प्रतिष्ठानों की बैठक के बाद यह तथ्य सामने आया कि बाजपुर सहकारी चीनी मिल बाजपुर लोक प्राधिकारी की श्रेणी में आती है। चूंकि यह सरकार द्वारा उपलब्ध करायी गई निधियों से वित्त पोषित है"।

10. अपील संख्या A(UR) 13977/2013 में राज्य सूचना आयुक्त द्वारा पारित आदेश दिनांक 27/10/2014 के प्रस्तर 3 का अंश निम्नवत उद्धृत है:–

" बाजपुर स्थित सहकारी चीनी मिल समिति का प्रशासक आयुक्त कुमायूं मण्डल राज्य गठन के समय से है। इस सहकारी चीनी मिल समिति के प्रधान प्रबन्धक पद पर नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा प्रान्तीय सिविल सेवा के अधिकारियों से अथवा सहकारी चीनी मिल संघ द्वारा सहकारी चीनी मिलों के अधिकारियों की केन्द्रीय सेवा के अधिकारियों से की जाती है। राज्य सरकार सहकारी चीनी मिल फेडरेशन जिसका प्रशासक राज्य सरकार के गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग विभाग का सचिव है तथा जिसका मुख्य कार्यकारी राज्य सरकार का गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग विभाग का अपर सचिव है, के द्वारा इन

उत्तराखण्ड सूचना आयोग
सत्यमेव जयते
देहरादून

चीनी मिलों को नियंत्रित किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त यह सहकारी चीनी मिल गन्ना किसानों के गन्ना मूल्य के भुगतान करने में असमर्थ रहती रही है। इन्हें प्रतिवर्ष राज्य सरकार द्वारा ऋण दिया जाता है। विगत वर्ष 4 सहकारी चीनी मिल व 2 कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत चीनी मिल को राज्य सरकार द्वारा लगभग 200 करोड़ रूपये का ऋण दिया था। राज्य गठन के बाद कई वर्षों से राज्य सरकार प्रत्येक वर्ष यह ऋण इन चीनी मिलों को दे रही है। इस ऋण के प्राप्त करने पर ही यह चीनी मिल गन्ना किसानों का अवशेष भुगतान कर पाते हैं। इन चीनी मिलों का अपनी वित्तीय स्थिति ऐसी हो चुकी है कि इन्हें कोई भी बैंक पर्याप्त ऋण उपलब्ध कराने के लिए सहमत नहीं है क्योंकि इन मिलों द्वारा लाभ अर्जित नहीं किया जा रहा है। इन्हें लगातार प्रत्येक वर्ष राज्य सरकार से ऋण के रूप में एक बड़ी राशि उपलब्ध करायी जा रही है जिससे यह अपना चीनी उत्पादन का कार्य संचालन कर पाती है। इन चीनी मिलों द्वारा इनको राज्य सरकार द्वारा दिया गया ऋण वापस भुगतान नहीं किया जा रहा है। राज्य सरकार द्वारा ऋण राशि को अंश पूंजी में परिवर्तन करने के लिए कार्यवाही चल रही है। समग्रता में देखा जाये तो इन चीनी मिलों में एक बड़ी अंशपूंजी राज्य सरकार की है तथा ऋण की बड़ी राशि राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त की गयी है। इस प्रकार इन चीनी मिलों को अपना अस्तित्व बनाये रखने के लिए राज्य सरकार द्वारा दी गयी सहायता अपरिहार्य हो गयी। यदि यह ऋण की धनराशि राज्य सरकार से प्राप्त न हो तो यह चीनी मिल गन्ना किसान के अवशेष गन्ना मूल्य भुगतान में समर्थ नहीं हो पायेगी और उक्त स्थिति में यह अपने कार्मिकों के वेतन भुगतान भी नहीं कर पायेगी। सहकारी चीनी मिलों के प्रधान प्रबन्धक राज्य सरकार का अधिकारी है तथा सहकारी समिति का प्रशासक राज्य सरकार का अधिकारी है। ऐसे में राज्य सरकार का सहकारी चीनी मिल समिति पर प्रभावी नियंत्रण भी है। वर्णित स्थिति में

उत्तराखण्ड सूचना आयोग
सत्यमेव जयते
देहरादून
JP

यह एक लोक प्राधिकारी के रूप में देखी जा सकती है। इसे राज्य सरकार द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उपलब्ध करायी गयी निधियों द्वारा वित्त पोषित संगठन के रूप में देखा जा सकता है। उक्तानुसार विश्लेषण करने पर यह स्पष्ट है कि बाजपुर सहकारी चीनी मिल मा0 उच्चतम न्यायालय के निर्णय दिनांक 07/10/2013 के आलोक में लोक प्राधिकारी की परिभाषा में आती है "।

11. अपील संख्या A(UR) – 14499/2017 में राज्य सूचना आयुक्त द्वारा पारित आदेश दिनांक 16/01/2017 जो दि किसान सहकारी चीनी मिल, राजपुर पूरनपुर नादेही के संबंध में है उसके प्रस्तर 2 का अंश निम्नवत उद्धृत है:–

" यह मिल्स समिति एक सहकारी संस्था है जो सहकारी समिति अधिनियम 1912 की धारा 8(2) के अन्तर्गत पंजीकृत है और समिति को न तो राज्य सरकार से और न ही केन्द्र सरकार से कोई सारभूत आर्थिक सहायता प्राप्त होती है। न ही समिति में राज्य सरकार अथवा केन्द्र सरकार की अंशपूंजी लगी है। अपीलार्थी का कथन है कि दि किसान सहकारी चीनी मिल्स, राजपुर पूरनपुर नादेही को प्रत्येक वर्ष राज्य सरकार से बहुत बड़ी धनराशि ऋण के रूप में उपलब्ध होती है और किसान चीनी मिल्स रायपुर में सरकार का 83.5 का शेयर है। अपीलार्थी अथवा शिकायतकर्ता द्वारा जो कथन किये गये हैं उनके समर्थन में कोई तथ्य प्रस्तुत नहीं किये गये है। सम्पूर्ण पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट हो रहा है कि मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपील संख्या 9017/2013 Thalappalam Ser. Coop. Bank Ltd. and anors Vs. State of Kerala & anors में प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसार दि किसान सहकारी चीनी मिल्स, राजपुर पूरनपुर नादेही लोक प्राधिकारी की परिभाषा से आच्छादित नहीं होती है।

उत्तराखण्ड सूचना आयोग JP सत्यमेव जयते देहरादून

12. शिकायत संख्या 12507/2017 (RK) में राज्य सूचना आयुक्त द्वारा पारित आदेश दिनांक 12/01/2018 के प्रस्तर 3 का अंश निम्नवत उद्धृत है:-

" क्योंकि प्रधान प्रबंधक/सचिव, दि किसान सहकारी चीनी मिल्स लि0, राजपुर-पूरनपुर-नादेही लोक प्राधिकारी नहीं है, अतः उन्हें सूचना अधिकार के तहत सूचनायें देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है"।

13. उपर्युक्त से स्पष्ट है कि जहां तक बाजपुर सहकारी चीनी मिल की बात है, समय-समय पर राज्य सूचना आयोग ने यही आदेश पारित किये हैं कि वह सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत लोक प्राधिकारी है। फिर भी प्रस्तुत प्रकरण में यह उचित समझा गया कि इस शिकायत को राज्य सूचना आयोग की संयुक्त पीठ द्वारा सुना जाये, ताकि उक्त चीनी मिल के बारे में इस आशय का कोई संदेह भविष्य में न रहे कि मिल सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत लोक प्राधिकारी है अथवा नहीं।

14. शिकायतकर्ता द्वारा प्रस्तुत तथ्य तथा मिल की ओर से प्रस्तुत लिखित पक्ष दोनों का परिशीलन किया गया। यह स्थापित करने के लिए कि मिल लोक प्राधिकारी है अथवा नहीं, सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 2(h) का प्रथमतः परीक्षण किया जाना होगा। उक्त धारा के अंतर्गत निम्न प्राविधान किया गया है:-

धारा 2 (h) "public authority" means any authority or body or institution of self-government established or constituted—

(a) by or under the Constitution;

(b) by any other law made by Parliament;

(c) by any other law made by State Legislature;

(d) by notification issued or order made by the appropriate Government, and includes any—

(i) body owned, controlled or substantially financed;

(ii) non-Government organisation substantially financed, directly or indirectly by funds provided by the appropriate Government;

15. उपर्युक्त के अतिरिक्त Thalappalam Ser. Coop. Bank Ltd and other Versus State of Kerala & other के मामले में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा अवधारित किये गये मत का भी मनन किया जाना होगा। Thalappalam Ser. Coop. Bank Ltd and other Versus State of Kerala & other के मामले में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि उक्त समिति सूचना का अधिकार अधिनियम की उपर्युक्त धारा 2(h) के अन्तर्गत लोक प्राधिकारी नहीं है। मा0 उच्चतम न्यायालय ने समिति के लोक प्राधिकारी होने के संबंध में निर्णय लेते समय यह स्पष्ट किया कि समिति धारा 2(h) की उपधारा a, b, c के अन्तर्गत आच्छादित नहीं होती है। ऐसे में उन्होंने धारा 2(h)(d)(i) का विशेष रूप से परीक्षण किया। बाजपुर सहकारी चीनी मिल के संबंध में भी यही स्थिति उत्पन्न होती है, अतः यह देखा जाना है कि धारा 2(h)(d)(i) के अंतर्गत यह मिल लोक प्राधिकारी है अथवा नहीं। Thalappalam Ser. Coop. Bank Ltd and other Versus State of Kerala & other के मामले में मा0 उच्चतम न्यायालय ने यह पाया था कि समिति राज्य

उत्तराखण्ड सूचना आयोग
सत्यमेव जयते
देहरादून

सरकार के नियंत्रणाधीन एवं स्वामित्वाधीन नहीं मानी जायेगी। प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से उपलब्ध करायी गयी निधियों से वित्त पोषण उक्त समिति के बारे में नहीं पाया गया था। इसी परिस्थिति में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा यह निर्णय लिया गया था कि उक्त समिति लोक प्राधिकारी नहीं है। बाजपुर चीनी मिल के बारे में केवल यह परीक्षण किया जाना है कि चीनी मिल समिति प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से उपलब्ध करायी गयी निधियों द्वारा "substantially financed" है अथवा नहीं। मा0 उच्चतम न्यायालय ने "substantially financed" की व्याख्या करते हुए अपने आदेश के प्रस्तर 38 तथा प्रत्येक समिति के बारे में अलग–अलग परीक्षण किए जाने के संबंध में आदेश के प्रस्तर 51 में क्रमशः निम्न व्यवस्था दी है:–

"Merely providing subsidies, grants, exemptions, privileges etc., as such, cannot be said to be providing funding to a substantial extent, unless the record shows that the funding was so substantial to the body which practically runs by such funding and but for such funding, it would struggle to exist."

" All the same, if there is any dispute on facts as to whether a particular society is a public authority or not, the State Information Commission can examine the same and find out whether the society in question satisfies the test laid in this judgment."

16. उपर्युक्त के आलोक में देखा जाना है कि बाजपुर सहकारी चीनी मिल राज्य सरकार द्वारा "substantially financed" है अथवा नहीं। शिकायतकर्ता ने जो साक्ष्य प्रस्तुत किया है उसके अनुसार वर्ष 2014 में चीनी मिल की कुल Subscribed Share Capital लगभग रू0 आठ करोड़ में से लगभग रू0 छः करोड़ राज्य

उत्तराखण्ड सूचना आयोग JP सत्यमेव जयते देहरादून

सरकार द्वारा धारित है। शिकायत की सुनवाई के दौरान चीनी मिल समिति के प्रतिनिधि से पूछा गया कि वर्तमान अंशपूंजी में राज्य सरकार का अंश कितना है तो उन्होंने कथन किया कि यह अंश 90 प्रतिशत से अधिक है। सुनवाई के दौरान यह भी स्पष्ट हुआ कि समय–समय पर राज्य सरकार द्वारा चीनी मिल को ऋण के रूप में बड़ी धनराशि प्रदान की गयी है एवं चीनी मिल द्वारा वित्तीय संस्थाओं से जो ऋण लिया जाता है उसमें राज्य सरकार गारन्टी प्रदान करती है। इस प्रकार चीनी मिल समिति के अंशपूंजी में वर्ष 2014 में लगभग 75 प्रतिशत तथा अब 90 प्रतिशत से अधिक की अंशपूंजी राज्य सरकार के पास है, यह प्रत्यक्ष वित्त पोषण है। अप्रत्यक्ष रूप से चीनी मिल को गन्ना भुगतान के लिए समय–समय पर बड़ी धनराशि ऋण के रूप में दी गयी है तथा अन्य संस्थाओं से ऋण लेते समय गारन्टी राज्य सरकार द्वारा दी गयी है। यदि उपर्युक्त प्रकार से चीनी मिल का वित्त पोषण न किया जाता तो इस चीनी मिल का चलना सम्भव नहीं है। इन सभी बातों से चीनी मिल के प्रतिनिधि ने सुनवाई के दौरान सहमति व्यक्त की। इससे यह स्पष्ट है कि चीनी मिल राज्य सरकार द्वारा "substantially financed" है। तद्नुसार यह भी स्पष्ट हो जाता है कि मिल सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत लोक प्राधिकारी है।

17. जहां तक चीनी मिल की ओर से मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा सिविल अपील संख्या 5466/2002 किसान सहकारी चीनी मिल लि0, सुल्तानपुर बनाम शत्रुघ्न निषाद में पारित निर्णय के उद्धरणों की बात है, उक्त अपील में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा इस तथ्य का परीक्षण किया गया कि संविधान के अनुच्छेद–12 के अंतर्गत किसान सहकारी चीनी मिल, सुल्तानपुर "other authority", अतः "the State" है अथवा नहीं। सूचना का अधिकार अधिनियम केवल संविधान के अनुच्छेद–12 के अंतर्गत परिभाषित "the State" पर ही लागू नहीं होती, बल्कि इस अधिनियम के अन्तर्गत लोक प्राधिकारी की परिभाषा का फलक

उत्तराखण्ड सूचना आयोग देहरादून

अधिक विस्तृत है एवं "the state" के अतिरिक्त ऐसी संस्थाओं को भी समाहित करती है जो "the state" नहीं हैं, परन्तु राज्य सरकार द्वारा "substantially financed" है। फलतः मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा किसान सहकारी मिल, सुल्तानपुर के संबंध में उपर्युक्त अपील में जो निर्णय पारित किया गया है वह प्रस्तुत शिकायत में अन्तर्निहित मूल बिन्दु से हटकर है, अतः प्रस्तुत अपील का विषय मा0 उच्चतम न्यायालय के उक्त आदेश से आच्छादित नहीं है। चीनी मिल की ओर से कई अधिवक्ताओं की विधिक राय भी प्रस्तुत की गयी है, जिसका अवलोकन किया गया। अधिवक्ताओं की राय में चीनी मिल लोक प्राधिकारी नहीं है किन्तु अपना मत व्यक्त करते समय किसी भी अधिवक्ता ने भली–भांति इस तथ्य का परीक्षण नहीं किया कि क्योंकर यह न माना जाये कि यह चीनी मिल राज्य सरकार से "substantially financed" है, अतः अधिवक्ताओं की राय मान्य नहीं है।

18. चीनी मिल की ओर से यह भी कहा गया है कि नादेही सहकारी चीनी मिल के संबंध में राज्य सूचना आयोग ने यह निर्णय लिया है कि यह चीनी मिल सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत लोक प्राधिकारी नहीं हैं। अतः बाजपुर सहकारी चीनी मिल भी उक्त अधिनियम के अंतर्गत लोक प्राधिकारी नहीं मानी जा सकती है। इस संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि प्रत्येक सहकारी चीनी मिल की प्रास्थिति राज्य सरकार के नियंत्रण एवं राज्य सरकार के वित्त पोषण के सापेक्ष भिन्न–भिन्न प्रकार की होती है। नादेही सहकारी चीनी मिल से संबंधित मामले का परीक्षण किये बिना यह कहना उचित नहीं होगा कि उसकी प्रास्थिति बाजपुर सहकारी चीनी मिल के समतुल्य है अथवा नहीं। फलतः नादेही चीनी मिल के संबंध में राज्य सूचना आयोग द्वारा पारित आदेश बाजपुर सहकारी चीनी मिल पर लागू नहीं होता।

उत्तराखण्ड सूचना आयोग

19 यह स्थिति बिल्कुल ग्राह्य नहीं है कि चीनी मिल के प्रबन्धन ने राज्य सूचना आयोग को इस आशय का पत्र लिखकर कि चीनी मिल के लोक प्राधिकारी होने के संबंध में स्थिति स्पष्ट कर उन्हें बताया जाये, सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तुत अनुरोध पत्र का निस्तारण करना रोक दिया जबकि राज्य सूचना आयोग द्वारा दो अलग–अलग तिथियों में यही निर्णय लिया गया था कि यह चीनी मिल सूचना का अधिकार अधिनियम से आच्छादित है। राज्य सूचना आयोग द्वारा किसी संस्था के संबंध में शिकायत/अपील आने पर ही यह परीक्षण किया जाता है कि वह संस्था सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत लोक प्राधिकारी है अथवा नहीं। बाजपुर सहकारी चीनी मिल के बारे में राज्य सूचना आयोग के यही आदेश हैं कि यह मिल सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत लोक प्राधिकारी है, जिसकी पुनः पुष्टि की जाती है। मिल के प्रबन्धन के इस कृत्य की भर्त्सना भी की जाती है कि उन्होंने एक लम्बे समय तक सूचना का अधिकार अधिनियम की व्यवस्था का पालन नहीं किया जबकि राज्य सूचना आयोग के आदेश इस संबंध में स्पष्ट थे। प्रस्तुत शिकायत में निहित अनुरोध–पत्र तथा अन्य अनुरोध–पत्रों का अब विधिवत निस्तारण तत्परता से किया जाए। शिकायतकर्ता ने क्षतिपूर्ति पर बल नहीं दिया।

20. उपर्युक्तानुसार इस शिकायत का निस्तारण किया जाता है।

पत्रावली दाखिल दफ्तर की जाये।

आज खुले में घोषित, हस्ताक्षरित एवं दिनांकित।

दिनांक : 26/06/2019

(जे0पी0 ममगाईं)
राज्य सूचना आयुक्त

उत्तराखण्ड सूचना आयोग
सत्यमेव जयते
देहरादून

(शत्रुघ्न सिंह)
मुख्य सूचना आयुक्त

JP

उत्तराखण्ड सूचना आयोग देहरादून, उत्तराखण्ड

अपील संख्या : **A(D)- 26319/2018**

अपील अंतर्गत धारा 19(3) सू.का.अधि. अधिनियम, 2005

समक्ष : 1.शत्रुघ्न सिंह, मुख्य सूचना आयुक्त, उत्तराखण्ड

2.चन्द्र सिंह नपलच्याल, राज्य सूचना आयुक्त, उत्तराखण्ड

अपीलकर्ता : डा0 जावेद अख्तर, एडवोकेट, ला0 नम्बर–16, आजाद नगर, हल्द्वानी (रायल मेडिकल स्टोर के पास), जिला नैनीताल– 262139.

बनाम

प्रतिवादी
1. लोक सूचना अधिकारी/वक्फ निरीक्षक, उत्तराखण्ड वक्फ बोर्ड, अल्पसंख्यक कल्याण भवन, भगत सिंह कालोनी, अधोईवाला, देहरादून–248001.
2. विभागीय अपीलीय अधिकारी/मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उत्तराखण्ड वक्फ बोर्ड, अल्पसंख्यक कल्याण भवन, भगत सिंह कालोनी, अधोईवाला, देहरादून–248001.

प्रतिलिपिः

1. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।

आदेश

इस अपील की पिछली सुनवाई दिनांक 07/01/2019 को हुई थी। सुनवाई के दौरान अपीलार्थी उपस्थित थे; लोक सूचना अधिकारी/वक्फ निरीक्षक मौहम्मद अली उपस्थित थे।

उत्तराखण्ड सूचना आयोग सत्यमेव जयते देहरादून

2. अपीलीय प्रकरण में मुख्य बिन्दु यह है कि वक्फ बोर्ड से मांगी जाने वाली सूचना, सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत प्रदान की जाये अथवा वक्फ बोर्ड के अधिनियम, 1995 यथा संशोधित, 2013 की धारा 30 के अन्तर्गत। विभागीय अपीलीय अधिकारी द्वारा विभागीय अपील का निस्तारण दिनांक 31/12/2018 को पारित आदेश के द्वारा करते हुए उल्लिखित किया गया है कि मा0 उत्तराखण्ड सूचना आयोग द्वारा अपील संख्या A(D)-17305/2014 की सुनवाई में दिनांक 13/04/2015 को पारित आदेश के प्रस्तर संख्या 4 एवं 4.1 के क्रम में आवेदनकर्ता वांछित अभिलेखों की प्रतियां वक्फ अधिनियम 1995 (यथासंशोधित 2013) की धारा–30 के तहत नियमानुसार प्राप्त करें। अपीलार्थी द्वारा इस बात पर बल दिया गया कि सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 से प्रभावी है, जिन प्रकरणों की कापी उनके द्वारा मांगी जा रही हैं, वह बहुत पहले से चल रहे हैं और आज की तारीख में सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के प्रभावी होने से इस अधिनियम के अन्तर्गत सूचना देय है। इस संबंध में अपीलार्थी द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय में योजित अपील संख्या 1798/2009 में पारित आदेश दिनांक 23 सितम्बर, 2011 की प्रति उपलब्ध कराते हुए इस बात पर बल दिया गया कि मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा भी स्पष्ट निर्देशित किया गया है। इस संबंध में लोक सूचना अधिकारी की ओर से कहा गया कि जिस प्रकार से अपीलार्थी द्वारा सूचना की प्रमाणित प्रतिलिपि मांगी गयी है उसके लिए पूर्व से प्रावधान किया गया है कि वे निर्धारित प्रक्रिया के द्वारा उक्त सूचनाओं की प्रतिलिपि प्राप्त करेंगे।

3. दिनांक 07/01/2019 की सुनवाई में अपीलकर्ता ने वक्फ अधिनियम 1995 तथा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत की गयी व्यवस्थाओं में परस्पर विरोधाभास के संबंध में बताया कि वक्फ अधिनियम के अन्तर्गत केवल मूल अभिलेखों की छायाप्रतियां ही प्रदान की जाती हैं, अर्थात यदि किसी मामले में किसी अभिलेख की छायाप्रति प्रेषित की गयी है तो उसकी छायाप्रति

उत्तराखण्ड सूचना आयोग देहरादून

प्रदान नहीं की जाती है। लोक सूचना अधिकारी के प्रतिनिधि द्वारा इस बात का विरोध करते हुए स्पष्ट किया कि वक्फ अधिनियम की धारा 30 की उप धारा 1 के अन्तर्गत सभी अभिलेखों की नकल प्रदान की जाती है, अतः यह कहना कि मूल अभिलेखों के अलावा अन्य अभिलेखों की प्रतियां नहीं दी जाती हैं, अधिनियम की व्यवस्था के विपरीत हैं। वक्फ बोर्ड की ओर से यह भी कहा गया कि यदि सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत ही सारी सूचनाएं प्रदान की जाती हैं, तो अनुरोध पत्रों की संख्या में अत्यधिक इजाफा होगा। वक्फ बोर्ड में केवल 05 कर्मचारी कार्यरत हैं एवं शासन से कम धनराशि प्राप्त होती है, जिससे अनुरोध पत्रों के निस्तारण में आर्थिक एवं संसाधन जनित दिक्कतें आयेंगी। वक्फ बोर्ड द्वारा एक्ट के अन्तर्गत जो प्रतिलिपियों दी जाती हैं वह कर्मचारी के हस्ताक्षर करके ही दी जाती हैं। वक्फ बोर्ड के प्रतिनिधि द्वारा यह भी कहा गया कि वक्फ अधिनियम, 2013 की धारा 108 (ए) में दिये गये प्रावधानों के अनुसार इस अधिनियम में दी गयी व्यवस्था को किसी अन्य अधिनियम के तहत ओवररूल नहीं किया जा सकता है। यदि सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की व्यवस्थाओं को सूचना का प्रेषण 02 रू0 प्रति पृष्ठ की दर से किया जाता है तो वक्फ अधिनियम 2013 की धारा 108 ए के उल्लंघन के साथ–साथ वक्फ बोर्ड को वित्तीय नुकसान भी होगा। वक्फ बोर्ड द्वारा सूचना देने से इन्कार नहीं किया जा रहा है बल्कि वक्फ रूल्स 2017 के तहत सूचना निर्बाध तरीके से दी जा रही है। वक्फ बोर्ड द्वारा यह भी उल्लेख किया गया कि मा0 उच्च न्यायालय एवं मा0 सर्वोच्च न्यायालय भी अपने निर्णयों से संबंधित सूचना अपने रूल्स के तहत ही प्रदान करती है। उनके द्वारा यह भी उल्लेख किया गया कि मा0 सर्वोच्च न्यायालय के फैसलों की प्रति गैर पक्ष के आम लोगों को देने के लिए वर्तमान में मा0 सर्वोच्च न्यायालय रूल्स 2013 के आदेश 5 रूल्स 2 और सबरूल्स 37 के तहत वकील के माध्यम से प्रार्थना पत्र देना पड़ता है, औचित्य सिद्ध करने पर एकल पीठ द्वारा प्रति देने का आदेश दिया जाता है या प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया जाता है। उपरोक्त वर्णित तथ्यों के आधार पर वक्फ बोर्ड द्वारा आयोग के समक्ष अनुरोध किया गया कि उक्त अपील को निरस्त करते हुए

उत्तराखण्ड सूचना आयोग
सत्यमेव जयते
JP
देहरादून

अपीलार्थी को वक्फ नियम–2017 में दिये गये प्रावधानों के तहत सूचना प्राप्त करने के लिए आदेशित किया जाए।

4. अपीलार्थी डा0 जावेद अख्तर द्वारा प्रार्थना पत्र दिनांक 07/01/2018 उपलब्ध कराते हुए अनुरोध किया गया कि विपक्षी गणों के विधि विरूद्ध निर्णय के कारण अपीलार्थी को उक्त अपील योजित करनी पड़ी तथा उक्त अपील की सुनवाई हेतु विपक्षीगण के द्वारा दो बार अपना पक्ष रखने हेतु अतिरिक्त समय की मांग की गयी, जो विपक्षीगण को दिया गया है। अपीलार्थी अपना अन्य कार्य छोड़कर हल्द्वानी से देहरादून आता है तथा अपील की सुनवाई हेतु प्रत्येक नियत तिथि पर उपस्थित रहा है, जिसके कारण अपीलार्थी को मानसिक, आर्थिक क्षति पहुंची है, जिसके प्रतिपूर्ति हेतु विपक्षीगण से 50,000/– रूप क्षतिपूर्ति दिलाया जाना न्यायहित में आवश्यक हैं। अपीलार्थी के उक्त प्रार्थना पत्र को सुनवाई के दौरान पीठ द्वारा यह कहते हुए अस्वीकार किया गया कि उक्त प्रकरण की सुनवाई में विधिक बिन्दुओं को ध्यान में रखते हुए समय दिया गया, ताकि विपक्षी विधि से संबंधित अपने तथ्यों को मय प्रासंगिक अभिलेखों के प्रस्तुत कर सकें, अतः उक्त क्षतिपूर्ति दिये जाने का आधार नहीं है।

5. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत सूचना प्रदान किए जाने की व्यवस्था की मूल मंशा यह है कि राजकाज के दैनिक क्रिया–कलापों में पारदर्शिता बने एवं जन–साधारण को आधारभूत जानकारी प्राप्त हो सके। यह पारदर्शिता समानान्तर रूप से वक्फ अधिनियम 1995 में सूचना/प्रतिलिपि जन–साधारण को प्रदत्त किए जाने की व्यवस्था के रूप में पूर्व से ही विद्यमान है। लोक सूचना अधिकारी द्वारा पारदर्शिता न अपनाये जाने अथवा सूचना/प्रतिलिपि उपलब्ध न कराने की बात कहीं नहीं कही गयी है, उनके द्वारा वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 30 का संदर्भ देते हुए उल्लेख किया कि जन–साधारण जो सूचना या प्रतिलिपि चाहते हैं, उन्हें प्रदान किए जाने का प्रावधान किया गया है। इसके साथ–साथ वक्फ बोर्ड द्वारा आर्थिक परिस्थितियों का भी उल्लेख अपने कथनों में किया गया। अपीलार्थी द्वारा कहा गया कि आज की तारीख में सूचना का

उत्तराखण्ड सूचना आयोग
सत्यमेव जयते
देहरादून

अधिकार अधिनियम, 2005 प्राभावी होने से सूचना देय है। इस संबंध में अपीलार्थी द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय में योजित अपील संख्या 1798/2009 के आदेश दिनांक 23 सितम्बर, 2011 को संदर्भित करते हुए सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत सूचना प्रदान किए जाने हेतु बल दिया गया। इस संबंध में मा0 उच्चतम न्यायालय के नवीनतम आदेश दिनांक 20 मार्च, 2018 को उद्धृत किया जाना प्रासंगिक होगा, जो कि रिट याचिका (सिविल) नम्बर 194 ऑफ 2012 COMMON CCUSE VERSUS HIGH COURT OF ALLAHABAD में पारित किया गया है:–

We are of the view that, as a normal Rule, the charge for the application should not be more than Rs. 50/- and for per page information should not be more than Rs. 5/-. However, exceptional situations may be dealt with differently. This will not debar revision in future, if situation so demands.

As regard Rules 25 to 27 of the Allahabad High Court Rules which debar giving of information with regard to the matters pending adjudication, it is clarified that the same may be read consistent with section 8 of the Act, more particularly sub-section (1)in clause (J) thereof.

6. इलाहाबाद उच्च न्यायालय (सूचना का अधिकार) नियम 2006 के संदर्भ में मा0 उच्चतम न्यायालय के उपरोक्त आदेशों में स्पष्ट किया गया है कि प्रार्थना पत्र की धनराशि रू0 50/– से अधिक न हो और प्रति पृष्ठ रू0 5/– से अधिक न हो। मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा यह भी प्रतिपादित किया है कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय (सूचना का अधिकार) नियम 2006 के नियम 25, 26 व 27 को सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 8, विशेषकर धारा 8(1)(ञ) के संगत माना जाये। वर्तमान प्रसंग में संबंधित लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपीलार्थी के द्वारा मांगी गयी सूचना न देने की बात नहीं कही गयी है और न ही उक्त सूचनाएं प्रतिबंधित होने का अथवा छूट से आच्छादित होने का कहीं उल्लेख किया गया है।

उत्तराखण्ड सूचना आयोग
सत्यमेव जयते
देहरादून

अर्थात लोक सूचना अधिकारी अपीलार्थी को सूचना देने से इंकार नहीं कर रहे हैं। वह उन्हें सूचना देना चाहते हैं, पर उक्त अधिष्ठान के प्रावधानित अधिनियम के अनुसार।

7. लोक सूचना अधिकारी द्वारा मा0 उत्तराखण्ड सूचना आयोग द्वारा अपील संख्या A(D)-17305/2014 में पारित आदेश दिनांक 13.04.2015 के प्रस्तर संख्या 4 एवं 4.1 को उद्धृत किया गया है। आयोग द्वारा उक्त आदेश का अवलोकन किया गया, जिसमें कि लोक सूचना अधिकारी/कलेक्ट्रेट देहरादून थे और उक्त आदेश में मा0 आयोग द्वारा मा0 दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा Registrar of Companies & other's v/s Dharmendra Kumar Garg दिनांक 01/06/2012 एवं मा.0 केन्दीय सूचना आयोग द्वारा Shri Mukesh Kumar v/s University of Delhi RTIR II (2013) 145 को उद्धृत करते हुए अवधारित किया गया कि कोई ऐसी सूचना जिसके बार में पहले से ही वैधानिक प्रावधान मौजूद है (सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अतिरिक्त) ऐसी सूचनाओं के मामले में अलग से कानूनी प्रक्रिया का प्रावधान है, वह सूचनाएं उसी प्रावधान के अन्तर्गत प्राप्त की जाये, सूचना का अधिकार के अन्तर्गत नहीं।

8. उभय पक्षों के अभिलेखीय एवं मौखिक कथनों को सुनने एवं मा0 सर्वोच्च न्यायालय के उद्धृत आदेश मा0 उच्च न्यायालय, मा0 केन्द्रीय सूचना आयोग एवं मा0 उत्तराखण्ड सूचना आयोग के उपरोक्त वर्णित निर्णयों में प्रतिपादित निर्णयों के आधार पर आयोग का मत है कि अपीलार्थी उक्त सूचनाएं प्राप्त करने हेतु पूर्व से विद्यमान उत्तराखण्ड वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 30 (2) के अन्तर्गत सूचना प्राप्त करने हेतु संबंधित लोक सूचना अधिकारी को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करें। इन प्रार्थना पत्रों के सापेक्ष सूचना देने से तभी इंकार किया जा सकता है जबकि इसमें सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 8 या धारा 9 के उपबन्ध लागू हों।

उत्तराखण्ड सूचना आयोग देहरादून

9. अपीलार्थी ने वक्फ रूल्स 2017 के तहत सूचना प्राप्त करने हेतु निर्धारित फीस की ओर भी आयोग का ध्यान आकृष्ट किया है। वक्फ रूल्स– 2017 के तहत अभिलेखों के निरीक्षण हेतु रू0 20/– प्रति घंटा शुल्क निर्धारित किया गया है। अभिलेखों की प्रमाणित प्रति हेतु प्रत्येक 100 शब्दों के लिये रू0 20/– निर्धारित है। जबकि उत्तराखण्ड शासन द्वारा धारा–27 सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 के अन्तर्गत बनाये गये नियमों के अनुसार सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन शुल्क के रूप में रू0 10/– निर्धारित है तथा अभिलेखों की प्रति ए–3/ए–4 आकार के पृष्ठों हेतु रू0 2/– प्रतिपृष्ठ और इससे बड़े आकार के पृष्ठ हेतु वास्तविक लागत की मांग किये जाने का प्रावधान है। वक्फ अधिनियम के अधीन शुल्क का निर्धारण भी उत्तराखण्ड सरकार द्वारा ही किया गया है, किन्तु दोनों अधिनियमों के अंतर्गत निर्धारित किये गये शुल्क में काफी अंतर है।

10. यह भी ध्यान देने योग्य है कि वक्फ रूल्स के अंतर्गत प्रत्येक 100 शब्दों के लिए शुल्क निर्धारित किया गया है जोकि कदाचित वर्तमान में प्रासंगिक भी नहीं है। पहले जब नकल नवीसों द्वारा किसी अभिलेख की नकल करने के उपरान्त प्रतियां उपलब्ध करायी जाती थी तो शब्दवार शुल्क लिया जाना ठीक था, किन्तु अब जबकि अभिलेखों की छायाप्रतियां आसानी से बनायी जा सकती हैं तो प्रति शब्द शुल्क निर्धारित करना वर्तमान स्थिति के अनुसार उचित नहीं है। सूचना प्राप्त करने हेतु दो अलग–अलग व्यवस्थाओं के शुल्क में अत्यधिक अन्तर नहीं होना चाहिए। इस परिप्रेक्ष्य में राज्य सरकार के स्तर से वक्फ रूल्स के तहत निर्धारित शुल्क को संशोधित किया जाना आवश्यक है। अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, उत्तराखण्ड शासन से अपेक्षा की जाती है कि वे इस संदर्भ में आवश्यक कार्यवाही करें।

उत्तराखण्ड सूचना आयोग देहरादून

11. अपील उपरोक्तानुसार अन्तिम रूप से निस्तारित एवं निक्षेपित की जाती है।

पत्रावली दाखिल दफ्तर की जाये।

आज खुले में घोषित, हस्ताक्षरित एवं दिनांकित।

दिनांक : 16/01/2019

16/01/19

(चन्द्र सिंह नपलच्याल)
राज्य सूचना आयुक्त

(शत्रुघ्न सिंह)
मुख्य सूचना आयुक्त

उत्तराखण्ड सूचना आयोग
सत्यमेव जयते
देहरादून

JP